न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीशसिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 169 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
परागाराम पुत्र पंचाणाराम जाति कलबी निवासी जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी		1. भीमाराम पुत्र मांगाराम जाति कलबी निवासी जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी 2. रणछोड़राम पुत्र पेमाराम जाति कलबी निवासी जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी 3. हड़मानाराम पुत्र थानाराम जाति राइका निवासी जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी 4. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा दाखा 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री राजेश पटेल, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.श्री नरेन्द्रसिंह महेचा ,वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से उपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 4 एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 05.12.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि [illegible] की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 1.4562 हैक्टयर ग्राम जूनामीठा खेड़ा पटवार क्षेत्र जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेत खसरा संख्या 316 रकबा 4.9673 हैक्ट, खसरा नम्बर 318 / 2 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

0.8495 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 03 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 316, 318/2 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी की तरफ वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 04 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।.

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 1.4562 हैक्टयर ग्राम जूनामीठा खेड़ा पटवार क्षेत्र जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेत खसरा संख्या 316 रकबा 4. 9673 हैक्ट, खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.8495 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 03 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 316, 318/2 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ने खसरा संख्या 316 में से रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपनी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित भूमि के नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे में भूमि का आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए नया मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 ने भी प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि विप्रार्थीगण के प्रस्तावित खेत मे से कभी प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 315 में आने जाने का कोई रास्ता विद्यमान नहीं रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी परागाराम के खातेदारी खेत खसरा नंबर 315 सरहद मौजा जूना मीठा खेडा में आने जाने हेतु वर्षों पुराना यानि पीढियो पुराना रास्ता जो संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट–ब मे मार्क सी से डी बरंग लाल दर्शाया गया है जो रास्ता सुचारू रूप से मौके पर विद्यमान है तथा मुडिया सड़क है। प्रार्थी उक्त रास्ता भूमि से आवागमन निरन्तर व निर्वाध रुप से वर्षों से करता आ रहा है। यहां यह भी निवेदन समीचिन है कि धारा 251ए रा.का.अ. 1955 की धारा 251ए के तहत आवेदन की मुख्य शर्त यह है कि जहां पर आवागमन का रास्ता विद्यमान हो एवं आवागमन सुचारू रूप से होता हो, उसके लिये नये रास्ते हेतु आवेदन पोषणीय नहीं है अर्थात उक्त प्रकरण के प्रार्थी ने जानबुझकर वर्षों पुराना विद्यमान रास्ता जो नक्शा परिशिष्ट–ब मे मार्क सी से डी बरंग लाल जो कटाण रास्ता जोगाराम के खेत यानि मार्क सी से शुरू होता है जो प्रार्थी परागाराम के खेत मार्क डी तक मुडिया सड़क विद्यमान है। अर्थात उक्त तथ्य को प्रार्थी ने जानबुझकर छिपाया है तथा नया रास्ता आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट–अ मे मार्क ए से बी की मांग की है जो पूर्णतया गलत की है अर्थात प्रार्थी अदालत श्री मे साथ हाथो से नहीं आया है, वास्तविक तथ्यो को छिपाया है। प्रार्थी के खेत मे आवागमन का रास्ता वर्षो पुराना विद्यमान है तथा प्रार्थी स्वयं ने आवेदन मे वैकल्पिक रास्ता जो हम विप्रार्थीगण के खेत मे से मांग की है, जो गलत, अवैध व अनुचित मांग की है। ऐसी स्थि[illegible] के खेत मे आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता विद्यमान होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त [illegible] पत्र जिसमे हम विप्रार्थीगण के खेत मे से वैकल्पिक रास्ता [illegible] आवेदन खारिज फरमाया जावे।

विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 315 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 316 व 318/2 में से चल रहे रास्ते को कबण रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 3065/26.11.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 315 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 316 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा दलील के कथनों में भी उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी जोत तक आवागमन का कोई वैकल्पिक जरिये नहीं होने तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने एवं सबसे निकटतम दूरी पर सड़क मार्ग से जुड़ने का एक मात्र विकल्प विप्रार्थी 1 से 02 के खेत खसरा संख्या 316 ग्राम जूनामीठा खेड़ा में से ही होकर सड़क तक जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार रास्ते हेतु निर्धारित विधिक प्रावधान अर्थात् प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक आवागमन का विकल्प का उपलब्ध नहीं होना, आत्यंतिक आवश्यकता का होना एवं सबसे निकटतम विकल्प विप्रार्थीगण के खेत में से होना प्रार्थी के पक्ष में साबित है तथा प्रार्थीगण का आवेदन प्रथम दृष्टया विधि पोषित एवं वैध प्रावधानों के अनुरूप होने से स्वीकार योग्य है। रास्ते में आने वाले विप्रार्थीगण की भूमि के ऐवज में निर्धारित प्रतिफल की राशि प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तत्पर है, प्रार्थीगण क्षर्तिपूति/प्रतिफल राशि का भुगतान कर रास्ता प्राप्त [illegible] है, प्रस्तावित रास्ता सभी विप्रार्थीगण के खेत के एक [illegible] खेतो के टुकड़े भी नहीं हो रहे है। जहां तक विप्रार्थी सं. 1 से 03 [illegible] वर्णित तर्क आवेदन के तथ्यों पर इस कारण लागू नहीं होते है कि प्रार्थी [illegible] वांछित अधिनियम के तहत आवागमन हेतु अन्य मार्ग उपलब्ध होने से इस आवेदन के तहत अनुचित रास्ते हेतु भूमि की मांग की गई है, जिसके तहत अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुणावगुण के आधार पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा बाद जांच तथ्यात्मक रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 316 क्षेत्रफल 4.9673 हैक्टयर में लम्बाई 153 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर रकबा 0.0765 हैक्टयर, का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर सिंचित सड़क से दूर राशि–342263/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 316 क्षेत्रफल 4.9673 हैक्टयर में लम्बाई 153 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर रकबा 0.0765 हैक्टयर की राशि–52400/–अक्षरे बावन हजार चार सौ रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 316 क्षेत्रफल 4.9673 हैक्टयर में लम्बाई 153 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर रकबा 0.0765 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर ———दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 02 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–52400/–अक्षरे बावन हजार चार सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./वाद/2024/3065 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीशसिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखा जाकर खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी